न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2022/520

मिसल नम्बर–129 / 2022

1.बाबू उर्फ घनश्याम आत्मज बालाजी, जाति गुर्जर निवासी आलनिय तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कजोड़ पुत्र बालाजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 13/2/25

उपस्थितिः–

1.श्री ब्रह्मानन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

2.कुमारी शीला वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी।

3.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी स्वयं प्रतिवादी नं0 1 के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या पुराना 88 नया 101 की कृषि आराजीखात वाके ग्राम कसार, पटवार क्षेत्र कसार भू0अ0नि0 क्षेत्र मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 1 का 1/10 हिस्सा निहित है। नया खसरा में 264 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 265 रकबा 0.93 है0, 265/1549 रकबा 0.16 कुल 2.08 है0 है। वादी का नाम घनश्याम आत्मज बाला जी, जाति गुर्जर है लेकिन वादी को घर पर प्यार से बाबू के नाम से पुकारा करते है और इसी कारण राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम बाबू अंकित कर दिया गया है जब कि वास्तव मैं वादी का नाम घनश्याम ही है। वादी के समस्त दस्तावेजात वानि पढ़ाई के स्कूल में, पेन्शनर की वार्षिक सत्यापन स्लीप में ड्राइविंग लाइसेन्स में, जनआधार में, आधार कार्ड में पहचान पत्र निर्वाचन आयोग भारत द्वारा जारी किये हुये में तथा परिवार कार्ड में भी वादी का नाम घनश्याम पुत्र बालाजी ही दर्ज है। इस कारण वादी के लिये राजस्व रिकार्ड में भी अपना नाम बाबू के स्थान पर घनश्याम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी के पक्ष मे डिक्री किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत व सहवन से बाबू पुत्र बालाजी अंकित कर दिया गया है के स्थान पर वादी का नाम घनश्याम दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान कर राजस्व रिकार्ड मैं दुरूस्ती करने का निर्देश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में पटवारी हल्का कसार से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें पटवार हल्का कसार द्वारा वर्णन किया है कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार में खाता सं0 94 खसरा नं0 264 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 265 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 265/1549 रकबा 0.16 है0 किता 3 कुल रकबा 2.08 है0 में बाबू पुत्र बालाजी हि0 1/10 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है। बाबू वादी का नाम समस्त दस्तावेजो एवं ग्रामवासियान द्वारा बताया गये अनुसार घनश्याम पुत्र बाला जी ही है। प्रार्थी बाबू एवं घनश्याम दोनो एक ही व्यक्ति है।

बाद पटवारी रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस के समर्थन में बाबू उर्फ घनश्याम पुत्र बाला के शपथ पत्र पेश हुये।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन पटवारी रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं चूंकि पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार में खाता सं0 94 खसरा नं0 264 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 265 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 265/1549 रकबा 0.16 है0 किता 3 कुल रकबा 2.08 है0 में बाबू पुत्र बालाजी हि0 1/10 जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है। बाबू वादी का नाम समस्त दस्तावेजो एवं ग्रामवासियान द्वारा बताया गये अनुसार घनश्याम पुत्र बाला जी ही है। प्रार्थी बाबू एवं घनश्याम दोनो एक ही व्यक्ति है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज रा0उ0मा0विद्यालय का ट्रांसफर सर्टीफिकेट का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि बाबू एवं घनश्याम एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कसार पटवार हल्का कसार में खाता सं0 94 खसरा नं0 264 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 265 रकबा 0.93 है0, ख0नं0 265/1549 रकबा 0.16 है0 किता 3 कुल रकबा 2.08 है0 में दर्ज बाबू पुत्र बाला के स्थान पर घनश्याम उर्फ बाबू पुत्र बाला हि0 1/10 जाति गुर्जर निवासी सा0 देह0 दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनाक:...13/2/25...को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा